Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 13, Issue No. 2, July-2017, ISSN 2230-7540

यू.जी.सी. मानक के अनुसार उच्च शिक्षा में नियुक्ति एवं प्रोन्नति में शोध

Dr. Rakesh Kumar David[1]* Dr. Ullhas Dadhakar[2] Khushboo Dadhakar[3]

[2] Academic Counselor

[3] Training Officer

सार – सन् 2009 में उच्च शिक्षा के मानकों को बनाये रखने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों-महाविद्यालयों में शिक्षकों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ की नियुक्ति की न्यूनतम अर्हता निर्धारित की।

---------------------------------X---------------------------------

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली में निर्धारित न्यूनतम अर्हता में शोध को विशिष्ट महत्त्व दिया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली 3.0.0. में भर्ती व योग्यता का प्रावधान है। इस प्रावधान के 3.3.1 में असिस्टेन्ट प्रोफेसर की भर्ती व नियुक्ति को वर्णित किया गया है। 3.3.1 में कहा गया है कि विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं में असिस्टेन्ट प्रोफेसर की भर्ती नियुक्ति में न्यूनतम योग्यता नेट/ स्लेट/ सेट रहेगी। इसी के दूसरे पैरा में पी.एच.डी. धरकों को न्यूनतम योग्यता नेट/ स्लेट/ सेट से छूट प्रदान की गयी है। 'छूट' के प्रावधन में कहा गया है- विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, संस्थाओं में असिस्टेन्ट प्रोफेसर अथवा समकक्ष की भर्ती-नियुक्ति में वे ही पी.एच.डी. धारक न्यूनतम योग्यता नेट/स्लेट/ सेट से छूट पाने के हकदार हों गे, जिन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियम 2009 न्यूनतम मानक व प्रक्रिया-पी.एच.डी. अवार्ड के लिए के तहत पी.एच.डी. की हो। अन्य प्रावधान इस प्रकार हैं-

3.5.0. 19 सितम्बर, 1991 के पहले एम.ए. करने वाले पी.एच.डी. धारकों को न्यूनतम अंक 55% में 5 प्रतिशत की छूट होगी। अर्थात् 50 प्रतिशत की ही योग्यता मानी जायेगी।

3.7.0. प्रोफेसर की नियुक्ति व प्रोन्नत में पी.एच.डी. की योग्यता आवश्यक है।

3.8.0. एसोसियेट प्रोफेसर की सीधी भर्ती में सभी अभ्यार्थियों के लिये पी.एच.डी. की योग्यता आवश्यक है।

3.9.0. नियुक्तियों में एम.फिल., पी.एच.डी. की समयावधि शिक्षण/शोध अनुभव पर विचार नहीं किया जायेगा।

शोधपरक उच्च शिक्षा नीति पर ही विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का जोर है। शोध की महत्ता बढ़ाने के लिये शिक्षकों की भर्ती व प्रोन्नति में शोध, लघु शोध पत्र प्रकाशन व वाचन, माइनर व मेजर प्रोजेक्ट, विषय विशेषज्ञ, पाठ्यक्रम प्रशिक्षण, कांफ्रेंस, सेमिनार, कार्यशाला, पुस्तक प्रकाशन, पुस्तकों में लेख-अध्याय प्रकाशन, शोध कराने इत्यादि को भी आधार बनाया गया है। इसका प्रावधान भर्ती के आकस्मिक उपलब्धि मानक (APIS) तथा प्रोन्नति के कैरियर एडवांसमें ट स्कीम (सीएसएस) के कुल अंकों में किया गया है। शोधपत्र प्रकाशन में 10 से 15 अंक, पुस्तक प्रकाशन में 5 से 25 अंक, एम फिल, पी.एच.डी. शोध प्रबंध जमा होने पर प्रति शोधार्थी 3 से 10 अंक, कांफ्रेंस, सेमिनार, कार्यशाला में 3 से 10 तंक, प्रोजेक्ट में 10 से 30 अंक तक निर्धारित किये गये हैं।

भारत सरकार का शोध की गुणवत्ता तथा उसकी राष्ट्रोपयोगिता पर विशेष बल है। राष्ट्र के कर्णधर प्रधानमंत्री, मानव विकास संसाधन मंत्री, उच्च शिक्षा से जुड़े मंत्री, सचिव,कुलाधिपति, कुलपति, शिक्षाविद् शोध की गिरती दशा से चिंतित हैं। उनका मानना है कि 90 प्रतिशत तक शोध विश्वपटल पर खरे नहीं उतरते हैं। वे चाहते है शोध राष्ट्रीय मुद्दों-रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य, नित-नूतन जन समस्याओं से जुड़े। ऐसा ही आवाहन प्रधानमंत्री सन् 2018 के आई आई टी गोल्डेन जुबली समारोह में कर चुके हैं।

www.ignited.in

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध की गुणवत्ता के लिए नये दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी विश्वविद्यालय सन् 2015 के इन दिशा-निर्देशों को लागू करने की लम्बी प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अनेक विश्वविद्यालयों में दो शिक्षा-सत्रों से शोध कार्य शून्य है। छत्तीसगढ़ में सहगल कमेटी की अनुशंसा पर शोधार्थी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। शोधपत्र प्रकाशित कराने होंगे, 6.6 माह में प्रगति आख्या प्रस्तुत करनी होगी, सेमेस्टर जैसी परीक्षा से गुजरने आदि के प्रावधान किये गये हैं। शोध की मौलिकता, सामाजिकता, समन्वयता, नये-नये विषयों व संदर्भो और निष्कर्षो को ही सर्वोच्च प्राथमिकता है। जर्नल्स में शोधपत्र के प्रकाशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुदानित तीन दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय-राष्ट्रीय सेमिनार, एक सप्ताह की कार्यशाला, 5 लाख से अधिक के प्रोजेक्ट को अधिकतम अंक की परिधि में रखा गया है।

मुख्यतः कला, संस्कृति, साहित्य विषयों से जुड़े विशेषज्ञ व शिक्षक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देश विज्ञान के अध्ययन-अध्यापन में तो उपयुक्त है किन्तु गैर विज्ञान के विषयों के लिय अलग से दिशा-निर्देश होने चाहिये। वे सबसे बड़ी मुश्किलें संसाधनों कमी, अपेक्षित जर्नल्स का अभाव तथा सरकारी उपेक्षा बताते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

अग्निहोत्री, प्रशान्त एवं रस्तोगी, धीरज कुमार (2011). "ग्राम शिक्षा समितियों की भूमिका एवं उनका उत्तरदायित्व". परिप्रेक्ष्य, वर्ष 18, अंक 3, दिसम्बर. पृ. 65-94.

अग्रवाल, उमेश चन्द्र (2006). "भारतीय आधुनिक शिक्षा के बदलते आयाम". भारतीय आधुनिक शिक्षा, वर्ष-24, अंक-4, अप्रैल, एन.सी.ई.आर.टी., नई दिल्ली. "अध्यापकों का राजनीतिकरण". सरिता, नवंबर द्वितीय पक्ष, 1973., पृ0 26-33.

अफीफी, ट्रेसी ओ., मोटा, एन., सरीन, जे0 एण्ड मैकमिलन, एच. एल. (2017). "दि रिलेशनशिप्स बिटवीन हार्स फिजिकल पनिशमेंट एण्ड चाइल्ड मालट्रीटमेंट इन चाइल्डहुड एण्ड इंटीमेट पार्टनर वायलेंस इन एडल्टहुड". बीएमसी पब्लिक हेल्थ, वा0-17, मई. पृ0 493-499.

अरविन्द, गेसू (2010) "कॉलोनिज्म, मॉडर्निज्म एण्ड नियो-लिबरलिज्म : प्रॉब्लमेटाइजिंग एजूकेशन इन इंडिया". इन हैण्डबुक ऑफ़ एशियन एजूकेशन: ए कल्चर पर्सपेक्टिव, चेप्टर-28.

राउटलेज, न्यूयॉर्क अरविन्दो (1948). सिस्टम ऑफ नेशनल एजूकेशन, आर्या पब्लिशिंग हाउस, कलकत्ता,

अर्नाल्ड-बेकर, चार्ल्स (2001). दि कम्पैनियन टू ब्रिटिश हिस्ट्री. रूटलेज, लंदन.

अल्तेकर, बी.बी. (1960). सोशल साइकोलॉजी, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बाम्बे.

अवस्थी, रीता और पाण्डे, उमाशंकर (2008). "प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में 'विशेषकर बालिका शिक्षा में' अपव्यय एवं अवरोधन". परिप्रेक्ष्य, वर्ष-15, अंक-1, अप्रैल. पृ0 107-18.

Corresponding Author

Dr. Rakesh Kumar David*